

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 936
जिसका उत्तर 08 फरवरी, 2024 को दिया जाना है।

.....

जल शक्ति अभियान

936. कुमारी चन्द्राणी मुर्मू:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में जल शक्ति अभियान की स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार का जल संचयन को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश में भू-जल का औसत स्तर क्या है तथा इसमें और गिरावट किस दर से हो रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): जल शक्ति अभियान (जेएसए) 2019 में शुरू किया गया था, जिसमें 256 जल संकट वाले जिलों के 2836 ब्लॉकों में से 1592 ब्लॉकों को शामिल किया गया था। जेएसए को 2020 में कोविड 19 महामारी द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण लागू नहीं किया जा सका और जल शक्ति मंत्रालय ने 'कैच द रेन' (सीटीआर) अभियान लागू किया। जब से इसे 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान के रूप में लॉन्च किया गया था, तब से इसे हर वर्ष यानी 2021, 2022, 2023 में लागू किया गया है, जिसमें सभी जिलों (ग्रामीण और साथ ही शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को शामिल किया गया है। वर्ष 2019 से, जेएसए अभियान के तहत, देश भर में लगभग 1.20 करोड़ जल संबंधी कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं और 527 जिलों ने अभियान के तहत जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की हैं।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संरक्षण और जल संचयन से संबंधित उपाय मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। हालाँकि, केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक है जिसे राज्यों के साथ गहन समन्वय में पूरे देश में लागू किया जा रहा है।

देश भर में जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार विशेष अभियान, योजनाओं और कार्यक्रमों के रूप में विभिन्न गतिविधियाँ चलाती है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ प्रमुख कदम इस प्रकार हैं:

- (i) जल शक्ति मंत्रालय 2019 से वार्षिक आधार पर जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रहा है। जेएसए को 2020 में कोविड महामारी के कारण लागू नहीं किया जा सका। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2023, जेएसए की श्रृंखला में चौथा 04.03.2023 से 30.11.2023 तक लागू किया गया था। वर्षा जल संचयन अभियान का एक प्रमुख घटक है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जेएसए: सीटीआर 2023 में सक्रिय रूप से भाग लेने की सलाह दी गई है और जेएसए: सीटीआर के तहत वर्षा संचयन गतिविधियां शुरू करने का भी सुझाव दिया गया है।
- (ii) सरकार खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार करने, टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के उद्देश्य से 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) लागू कर रही है। सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) और जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्स्थापन (आरआरआर) की योजना अब पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) का हिस्सा बन गई है। जल निकाय योजनाओं के एसएमआई और आरआरआर के कई उद्देश्य हैं जैसे जल निकायों में सुधार और बहाली के माध्यम से सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, साथ ही भूजल पुनर्भरण को बढ़ाना और खोई हुई सिंचाई क्षमता को पुनर्जीवित करना।
- (iii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को इसके प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक के तहत एक गतिविधि के रूप में वर्षा जल संचयन मिला है।
- (iv) अटल भूजल योजना (अटल जल) 7 राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता वाले चिह्नित क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से जल संकट वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन सहित भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
- (v) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) घटक के तहत गतिविधियों में से एक के रूप में जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाएं शामिल हैं।
- (vi) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्यों के लिए वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ ही स्थानीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त उपायों को अपनाने के लिए दिशानिर्देश जैसे दिल्ली के एकीकृत बिल्डिंग उप कानून (यूबीबीएल), 2016, मॉडल बिल्डिंग उप कानून (एमबीबीएल), 2016 और शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना फार्मूलेशन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 तैयार किए हैं।
- (vii) 15वें वित्त आयोग का अनुदान राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों के माध्यम से उपयोग करने के लिए जारी किया गया है। 15वें वित्त आयोग से जुड़े अनुदान के तहत विभिन्न

राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है।

- (viii) कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) 2015-16 से देश में 'प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)' की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है।
- (ix) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए एक मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है, जो अनुमानित लागत सहित देश के विभिन्न इलाकों की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक वृहद स्तर की योजना है। मास्टर प्लान में 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना की गई है।

(ग): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) हर वर्ष मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवंबर और जनवरी के महीनों के दौरान क्षेत्रीय पैमाने पर पूरे देश में भूजल स्तर की निगरानी करता है। नवंबर 2023 महीने के लिए मापा गया राज्य-वार भूजल स्तर **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

नवंबर 2023 के भूजल स्तर के अवलोकन से पता चलता है कि, जल स्तर की गहराई जमीनी स्तर (बीजीएल) से 0 से 5 मीटर नीचे है, जैसा कि लगभग 60.2% निगरानी स्टेशनों पर देखा गया है। पूरे देश में 2 से 5 मीटर बीजीएल का भूजल स्तर प्रमुख है। उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी राज्यों के कुछ हिस्सों में, विशेष रूप से चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में, जल स्तर की गहराई आम तौर पर अधिक गहरी होती है और लगभग 10 मीटर बीजीएल से लेकर 40 मीटर बीजीएल से अधिक होती है।

पूरे देश में भूजल स्तर में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव का आकलन करने के लिए, नवंबर 2023 के दौरान सभी राज्यों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना नवंबर (2013-2022) के दशकीय औसत से की गई है। जल स्तर के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 51.7% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, ज्यादातर 0.0 - 2.0 मीटर की सीमा में। इसके अलावा, 48.3% विश्लेषित कुओं में भी भूजल स्तर में गिरावट देखी गई है, जो ज्यादातर 0.0-2.0 मीटर की सीमा में है।

2013 से 2022 तक मापा गया राज्य-वार भूजल स्तर में उतार-चढ़ाव **अनुलग्नक-II** में दर्शाया गया है।

“जल शक्ति अभियान” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक
मानसून 2023 के बाद अवलोकित कुओं के जल स्तर की गहराई से प्रतिशत का वितरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किये गये कुओं की संख्या	निम्न की सीमा में जल स्तर (एमबीजीएल) की गहराई दर्शाने वाले कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 to 2		2 to 5		5 to 10		10 to 20		20 to 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	आंध्र प्रदेश	809	109	13.5	382	47.2	241	29.8	54	6.7	16	2.0	7	0.9
2	अरुणाचल प्रदेश	28	12	42.9	8	28.6	7	25.0	1	3.6	0	0.0	0	0.0
3	असम	318	125	39.3	156	49.1	30	9.4	6	1.9	1	0.3	0	0.0
4	बिहार	784	116	14.8	525	67.0	139	17.7	4	0.5	0	0.0	0	0.0
5	छत्तीसगढ़	1046	172	16.4	628	60.0	228	21.8	16	1.5	2	0.2	0	0.0
6	गोवा	82	17	20.7	38	46.3	21	25.6	6	7.3	0	0.0	0	0.0
7	गुजरात	753	105	13.9	305	40.5	215	28.6	96	12.7	26	3.5	6	0.8
8	हरियाणा	985	71	7.2	160	16.2	154	15.6	198	20.1	253	25.7	149	15.1
9	हिमाचल प्रदेश	171	30	17.5	69	40.4	30	17.5	26	15.2	12	7.0	4	2.3
10	झारखंड	396	51	12.9	216	54.5	114	28.8	8	2.0	7	1.8	0	0.0
11	कर्नाटक	1264	228	18.0	504	39.9	454	35.9	75	5.9	3	0.2	0	0.0
12	केरल	1377	323	23.5	477	34.6	485	35.2	85	6.2	5	0.4	2	0.1
13	मध्य प्रदेश	1470	151	10.3	654	44.5	501	34.1	147	10.0	12	0.8	5	0.3
14	महाराष्ट्र	1658	248	15.0	706	42.6	526	31.7	141	8.5	32	1.9	5	0.3
15	मेघालय	51	23	45.1	27	52.9	1	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
16	मिजोरम	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
17	नागालैंड	10	0	0.0	6	60.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	0	0.0
18	उड़ीसा	1370	528	38.5	694	50.7	142	10.4	6	0.4	0	0.0	0	0.0
19	पंजाब	283	29	10.2	55	19.4	34	12.0	65	23.0	81	28.6	19	6.7
20	राजस्थान	1061	27	2.5	171	16.1	195	18.4	234	22.1	194	18.3	240	22.6
21	तमिलनाडु	857	186	21.7	359	41.9	239	27.9	60	7.0	11	1.3	2	0.2
22	तेलंगाना	623	58	9.3	278	44.6	204	32.7	72	11.6	9	1.4	2	0.3
23	त्रिपुरा	96	26	27.1	57	59.4	13	13.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
24	उत्तर प्रदेश	1092	179	16.4	481	44.0	265	24.3	133	12.2	30	2.7	4	0.4
25	उत्तराखंड	171	17	9.9	48	28.1	35	20.5	31	18.1	25	14.6	15	8.8
26	पश्चिम बंगाल	736	224	30.4	413	56.1	85	11.5	14	1.9	0	0.0	0	0.0
27	अण्डमान और निकोबार	111	103	92.8	8	7.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
28	चंडीगढ़	14	0	0.0	5	35.7	2	14.3	2	14.3	4	28.6	1	7.1
29	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	30	7	23.3	17	56.7	6	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
30	दिल्ली	119	9	7.6	30	25.2	39	32.8	26	21.8	11	9.2	4	3.4
31	जम्मू और कश्मीर	385	96	24.9	173	44.9	59	15.3	27	7.0	21	5.5	9	2.3
32	पुदुचेरी	9	2	22.2	5	55.6	2	22.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	18161	3274	18.0	7655	42.2	4469	24.6	1534	8.4	755	4.2	474	2.6

“जल शक्ति अभियान” के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 08.02.2024 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 936 के उत्तर के भाग (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

माध्य के साथ राज्यवार दशकीय जल स्तर में उतार-चढ़ाव (मानसून के बाद 2013 से 2022

तक) और मानसून के बाद 2023

क्र. सं.	राज्य का नाम	विश्लेषण किये गये कुओं की संख्या	विभिन्न गहराई सीमा में कुओं की संख्या												कुओं की कुल संख्या	
			चढ़ाव						उतार						चढ़ाव	उतार
			0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%	0 से 2	%	2 से 4	%	> 4	%		
1	आंध्र प्रदेश	693	92	13.3	27	3.9	34	4.9	381	55.0	119	17.2	40	5.8	153	540
2	अरुणाचल प्रदेश	21	3	14.3	1	4.8	0	0.0	16	76.2	1	4.8	0	0.0	4	17
3	असम	209	97	46.4	7	3.3	0	0.0	92	44.0	8	3.8	5	2.4	104	105
4	बिहार	606	226	37.3	27	4.5	0	0.0	327	54.0	21	3.5	4	0.7	253	352
5	छत्तीसगढ़	692	340	49.1	42	6.1	4	0.6	260	37.6	32	4.6	13	1.9	386	305
6	गोवा	80	49	61.3	3	3.8	2	2.5	24	30.0	0	0.0	2	2.5	54	26
7	गुजरात	503	193	38.4	67	13.3	47	9.3	148	29.4	28	5.6	19	3.8	307	195
8	हरियाणा	577	170	29.5	54	9.4	33	5.7	184	31.9	67	11.6	69	12.0	257	320
9	हिमाचल प्रदेश	52	28	53.8	0	0.0	3	5.8	20	38.5	0	0.0	1	1.9	31	21
10	झारखंड	230	90	39.1	12	5.2	3	1.3	101	43.9	14	6.1	10	4.3	105	125
11	कर्नाटक	1160	403	34.7	69	5.9	32	2.8	501	43.2	116	10.0	37	3.2	504	654
12	केरल	1169	809	69.2	51	4.4	6	0.5	284	24.3	13	1.1	5	0.4	866	302
13	मध्य प्रदेश	1060	397	37.5	101	9.5	47	4.4	385	36.3	87	8.2	43	4.1	545	515
14	महाराष्ट्र	1387	549	39.6	96	6.9	37	2.7	512	36.9	119	8.6	71	5.1	682	702
15	मेघालय	29	12	41.4	0	0.0	0	0.0	17	58.6	0	0.0	0	0.0	12	17
16	नागालैंड	9	3	33.3	1	11.1	0	0.0	4	44.4	1	11.1	0	0.0	4	5
17	उड़ीसा	1133	576	50.8	35	3.1	8	0.7	442	39.0	59	5.2	13	1.1	619	514
18	पंजाब	176	47	26.7	8	4.5	6	3.4	64	36.4	24	13.6	27	15.3	61	115
19	राजस्थान	753	146	19.4	69	9.2	38	5.0	223	29.6	121	16.1	156	20.7	253	500
20	तमिलनाडु	771	285	37.0	154	20.0	121	15.7	163	21.1	34	4.4	14	1.8	560	211
21	तेलंगाना	616	156	25.3	76	12.3	82	13.3	223	36.2	46	7.5	33	5.4	314	302
22	त्रिपुरा	63	20	31.7	1	1.6	0	0.0	37	58.7	4	6.3	1	1.6	21	42
23	उत्तर प्रदेश	606	275	45.4	31	5.1	9	1.5	229	37.8	47	7.8	15	2.5	315	291
24	उत्तराखंड	147	58	39.5	20	13.6	12	8.2	43	29.3	10	6.8	4	2.7	90	57
25	पश्चिम बंगाल	573	325	56.7	11	1.9	1	0.2	213	37.2	18	3.1	5	0.9	337	236
26	अंडमान और निकोबार	108	72	66.7	0	0.0	0	0.0	36	33.3	0	0.0	0	0.0	72	36
27	चंडीगढ़	12	6	50.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	1	8.3	4	33.3	6	6
28	दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	23	13	56.5	0	0.0	0	0.0	8	34.8	1	4.3	1	4.3	13	10
29	दिल्ली	58	22	37.9	13	22.4	8	13.8	6	10.3	5	8.6	4	6.9	43	15
30	जम्मू और कश्मीर	211	121	57.3	3	1.4	0	0.0	79	37.4	7	3.3	1	0.5	124	87
31	पुदुचेरी	7	4	57.1	1	14.3	0	0.0	2	28.6	0	0.0	0	0.0	5	2
	कुल	13734	5587	40.7	980	7.1	533	3.9	5025	36.6	1003	7.3	597	4.3	7100	6625